

लय के पास हिन्दी अनुवाद के लिये कितनी नियम संहिताएं तथा फार्म प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक विधि मन्त्रालय ने कितनी ऐसी नियम संहिताओं आदि का अनुवाद पूरा करके सम्बन्धित कार्यालयों को सौंप दिया है; और

(ग) जो कार्य अभी शेष है उसके कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरतबोस) :

(क) विधिजात नियमों आदि के २६५ सेट । इनमें संहिताएं और फार्म भी शामिल हैं ।

(ख) अभी तक संहिताओं और फार्मों सहित विधिजात नियमों आदि के २८ सेटों का हिन्दी में अनुवाद कर दिया गया है और ये सेट सम्बन्धित मन्त्रालयों और विभागों को भेज दिये गये हैं ।

(ग) चूंकि बड़े हुए काम को निपटाने की दृष्टि से अनुवाद अनुभाग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव विचारा-धीन है, अतः अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि यह काम किस निश्चित तारीख तक पूरा हो सकेगा ।

विधि मन्त्रालय ~ हिन्दी अनुवाद

४२२३. { श्री प्रकाश बोर आस्थी :
श्री अर्जुन सिंह भक्षौरिया :
श्री बजरज सिंह :

क्या विधि मन्त्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय तक उनके मन्त्रालय के पास अन्य मन्त्रालयों से अनुवाद के लिये जो सामग्री आयी हुई है वह लगभग कितने पृष्ठ की है ;

(ख) इस समय उनके मन्त्रालय में अनुवाद कार्य के लिये कितने कर्मचारी नियुक्त हैं

(ग) उनमें से प्रत्येक से प्रति मास कितने पृष्ठ के अनुवाद की अपेक्षा की जाती है और क्या कार्यक्रम के अनुसार काम हो रहा है;

(घ) राष्ट्रपति के २७ अप्रैल, १९६० के आदेश के अनुसार जो स्थायी आयोग बनने वाला है उसकी स्थापना में देरी होने का क्या कारण है; और

(ङ) कब तक उस आयोग के बन जाने की सम्भावना है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरतबोस) :

(क) ८२०० ।

(ख) ४ व्यक्ति । उन्हें द्विभाषिक संस्करणों (हिन्दी अंग्रेजी) का प्रकाशन सम्बन्धी कार्य भी करना पड़ता है ।

(ग) प्रत्येक अनुवादक से प्रति मास लगभग ३७ पृष्ठ की अपेक्षा की जाती है । यह काम इसी कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।

(घ) और (ङ). आयोग के सदस्य विधि विशेषज्ञ होंगे। वे भारत के सभी राज्यों से लिये जाने हैं और वे राज्यों की विभिन्न राज-भाषाओं के प्रतिनिधि होने चाहियें । अतः यह आवश्यक था कि इस विषय में राज्य सरकारों से परामर्श किया जाये । राज्य सरकारों से परामर्श करने में और आयोग के लिये उचित सदस्य आदि चुनने में निश्चय ही समय लगता है । आयोग के सदस्यों आदि के बारे में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही होने वाला है और उसके तुरन्त बाद ही आयोग नियुक्त कर दिया जायेगा । सरकार इस बात के लिये उत्कण्ठित है कि आयोग जल्दी से जल्दी बना दिया जाये और इस मामले में कोई अनावश्यक देरी नहीं हुई है

Engineering College at Palghat

4224. Shri Kuman: Will the Minister of Scientific Research and Cultural Affairs be pleased to state:

(a) whether any representation has been received from the citizens of